

सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,  
विकास आयुक्त का कार्यालय / OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER,  
सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण/ SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE  
AUTHORITY,

अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400096.

टेली/Tel: 022-28294770 फैक्स/Fax: 022-28291754,

ई-मेल/E-mail : [ddcseepz-mah@nic.in](mailto:ddcseepz-mah@nic.in), वेबसाइट/ Web-site : [www.seepz.gov.org](http://www.seepz.gov.org)

फा.सं.सीपज़-सेज़/सीमाशुल्क/फ्री फॉर्म/193/2017-18/


दिनांक: 31.01.2018

### परिपत्र संख्या 296/2018

यह देखने में आया है कि सीपज़-सेज़ के यूनिटधारकों ने एनएसडीएल सिस्टम में अस्थायी रूप से हटाए जाने तथा उप-ठेके पर दिए जाने के संबंध में अनुरोध किया है किंतु इसके लिए आगे कोई कार्रवाई न किए जाने के कारण एनएसडीएल सिस्टम में ऐसे बहुत से अनुरोध इसके प्रारंभ काल से लंबित दिखाए जा रहे हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए सभी यूनिटधारकों को इसके द्वारा निदेश दिया जाता है कि आगे से सेज़ ऑनलाइन में फाइल किसी संव्यवहार जिस पर कार्रवाई न की गई हो, यूनिटों को ऐसे अनुरोधों के फाइल किए जाने के 7 दिनों के अंदर रद्दकरण के लिए फ्री फॉर्म फाइल करना होगा। सभी यूनिटधारकों द्वारा उक्त अनुदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।


यह विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़, मुंबई के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

  
(आशीष मिश्र)

विनिर्दिष्ट अधिकारी,  
सीपज़-सेज़ मुंबई

प्रति:

- (i) सभी यूनिट तथा जनोपयोगी सेवाएं।
- (ii) आइटी अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
- (iii) सूचना पट्ट।



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,  
सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण / SEEPZ-SEZ Authority,  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.  
Tel: 022-28294770 फ़ैक्स: 022-28291754,  
E-mail : ddcseepz-mah@nic.in, Web-site : www.seepz.gov.in

F.No.SEEPZ-SEZ/CUSTOMS/FREE FORM/193/2017-18


Date: 31.01.2018

CIRCULAR NO. <sup>244</sup>/2018

It has been noticed that unit holders of SEEPZ-SEZ have filed requests for Temporary Removal & Sub-Contracting in the NSDL system and no further processing has been done due to which a large number of requests are shown as pending in the NSDL system since its inception.

In view of the above, all unit holders are hereby directed that henceforth any transaction filed in SEZ online, if not processed the unit should file free form for cancellation within 07 days of filing such Requests. This is for strict compliance by all the units.

This issues with the approval of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ, Mumbai.

  
(ASHISH MISHRA)  
Specified Officer,  
SEEPZ-SEZ, Mumbai.

To

- (i) All Units and Public Utility
- (ii) IT Section - for uploading on website
- (iii) Notice Board